संख्या- 85/2015/628/71-1-2015-जी-66/2015

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 31 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेजों/संस्थानों के विभिन्न विभागों हेतु आवश्यक उपकरण क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1299, दिनॉक 23-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में मेडिकल कालेजों/संस्थानों में "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 75,16,09,000/- (रू0 पचहत्तर करोड़ सोलह लाख नौ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	प्राविधानित धनराशि (रू0 करोड़ में)	प्राविधानित धनराशि के उपलब्ध प्रस्ताव
1	मेडिकल कालेज, आगरा	16.00	16.00
2	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	8.2730	8.2730
3	मेडिकल कालेज, कन्नौज	6.00	6.00
4	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	12.00	12.00
5	मेडिकल कालेज, उरई, जालौन	6.00	6.00
6	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	9.00	9.00
7	मेडिकल कालेज, बांदा	10.00	10.00
8	मेडिकल कालेज, आगरा में आई0सी0यू0 की	7.8879	7.8879
		75.1609	75.1609

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्न सूची में वर्णित उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

3- स्वीक़त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त होगा।

7- उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जाएगा तथा उपकरणों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

8- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-588/दस-2015, दिनॉक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है। भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:- 85/2015/628(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, बॉदा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज,आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, बॉदा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद, बॉदा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज,आगरा।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।